न्यायालयः—अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ,छबडा,जिला बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारी :— श्री गणेशाराम ,आर.एच.जे.एस.
सेशन प्रकरण संख्या 43/2018
सी0आई0एस0 नं0—43/2018
राजस्थान राज्य

अभियोगी

बनाम

1—जगन्नाथ पुत्र हरिसिह, उम्र 60 वर्ष,
2—प्रेमसिंह पुत्र देवलाल,उम्र—50.वर्ष,
3—श्रीसिंह पुत्र बापूलाल,उम्र—40वर्ष,
4—भगवानसिंह पुत्र बापूलाल उम्र—30वर्ष,जातियान गुर्जर,निवासीयान —चक बिसलाई पुलिस थाना — हरनावदाशाहजी, जिला बारां (राज)

अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 341,323/34,324/34,325/34 307अथवा 307/34,व 435/34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :—
1. राज.राज्य की ओर से ,अपर लोक अभियोजक सरकार की ओर से ।
2. अभियुक्तगण की ओर से ,श्री राकेश कुमार गालव अधिवक्ता।

—:: निर्णय ::—

दिनांकः—14.05.2018

मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.11.2017को 3025 ए एम के लगभग आरक्षी केन्द्र हरनावदाशाहजी में परिवादी भगवानसिंह पुत्र धूलीलाल ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई कि वह गांव बिसलाई का रहने वाला है। दिनांक 12.11.17की बात है वह मेरी जमीन मे पानी फेर रहा था पास मेही हमारी मक्का की कडवी करीब बीस गाडी रखी हुई थी। जिसमे श्रीसिंह , भगवानसिह , प्रेमसिंह व एक और अन्य व्यकित जिन्होंने में आग लगा दी। आग के बुझाने में मैने इन लोगों को मैने पहचाना ,मैं पास गया तो इन लोगो ने आडे फिर कर रोका तो मेरे श्रीसिंह ने अपने पास की लकडी की कमर मे दाहिने तरफ मारी। जगन्नाथ ने दाहिने हाथ की भुजा पर लकडी की मारी । प्रेमसिंह ने अपने पास की लोडी की मेरे सिर मे पीछे मारी।भगवानसिंह नेघुटने के पीछे लकडी की मारी। मेरे पिताजी धूलीलाल बचाने आये तो जगन्नाथ ने लकडी की बाये हाथ पर मारी व शरीर पर जगह जगह चोटें मारी। प्रेमसिंह ने अपने पास की लकडी की अगुलियो पर मारी।बीरम ने भी लकडी की मेरे पिताजी के जगह जगह चोटें मारी।हमारे चिल्लाने की आवाजसुनकर मेरी मॉ समुन्द्राबाइ व बहिन रेखाबाई आई तो मेरी मा समुद्राबाईके साथश्री सिंह नेलकडी की मारपीट की। जगन्नाथ पीठ पर मारी। प्रेमसिंह ने कुल्हे पर मारी । मेरी बहिन रे,खाबाई क साथ श्रीसिंह ने मारपीट की। प्रेमसिंह नेलोठी की सिर मे दाहिनी तरफ मारी।जगन्नाथ ने बाये पैर के पंजों पर मारपीट की ।आग के उजाले मेंहम लोगों ने इनको पहचान लिया। ये कह रहे थे कि इन लोगों को मार दो।आदि

उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना हरनावदाशाहजी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 190/2017 अपराध अन्तर्गत धारा 307,143,341,323,435,34 भारतीय दण्ड सहिता मे दर्ज किया और बाद आवश्यक अनुसंधान थाना पुलिस हरनावदाशाहजी की ओर से दिनांक 31.03.2018को न्यायालय अति0मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छीपाबडौद के यहॉ अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 307,143,341,323,325,324,34 भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता के तहत पेश किया। जिसपर उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये गये। मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से इस न्यायालय को कमिट किया गया। जिस पर इस न्यायालय मे मामला दिनांक 23.04.2018 को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये गये।

दिनांक 03.11.2014को बहस चार्ज सुनी गयी एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रथमदृष्टया अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 341,323/34, 324/34, 325/34,307अथवा 307/34 व 435/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त गण ने आरोप सुन समझकर आरोप से इन्कार किया और अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन की ओर से साक्षीगण पी.ड.1भगवानसिंह पी0 ड02 धूलीलाल, पी0ड03समुन्द्राबाई एवं पी0ड04 रेखाबाईके बयान लेखबद्व करवाये गये और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ,तहरीरी रिपोर्ट प्रपी1,पुलिसबयान भगवानसिंह प्रपी2, पुलिसबयान धूलीलाल प्रपी 3, गवाह समुन्द्राबाई के पुलिस बयान प्रपी 4 एवं पुलिस बयान रेखाबाई प्रपी5 को प्रदर्शित करवाये और अभियोजन ने अपनी साक्ष्य समाप्त की।

इस स्टेज पर अभियुक्तगण एवं परिवादी गण के मध्य आपस मेंराजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को दिनांक 08.5.2018को धारा 341,323,324,325 /34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपो से जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया तथा धारा 324/34 व 307/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप शेष रहा ।

अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अभियुक्तगण के बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लिए गए। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया व सफाई साक्ष्य मे पेश करना नही चाहा। प्रकरण पुराना होने के कारण तत्पश्चात साक्ष्य बन्द की गई।

न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस अन्तिम सुनी तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारित प्रश्नों पर विचार करना हैः—

1— आया मुलजिमान ने दिनांक 12.11.2017को रात्रि 10.00बजे मौजा बिसलाई मे दीगर साथियों के साथ मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति मेंआहतान भगवानसिंह , धूलीलाल, समुन्द्राबाई व रेखाबाई को धारदार हथियारों से मारपीट कर उसकी हत्या करने के आशय से मारपीट कर आहत धूलीलाल की हत्या करने का प्रयत्न किया तथा कडप मेंआग जला कर रिष्टि कारित की।

2— आया मुलजिमान के विरूद्व कोई अपराध सिद्व हुआ है तो उचित सजा क्या होगी ?

बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी एवं पत्रावली पर आई मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य एव सूक्ष्म गतिविधि, उभय पक्षकारान के तर्को व पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन एवं परिशीलन करने के बाद न्यायालय का विनिश्चय प्रश्नवार निम्नवत है :—

<u>प्रश्न संख्या —01:—</u>

इस बावत् पत्रावली पर आई समग्र साक्ष्य का अवलोकन करने पर पाया गया है कि अभियोजन पक्ष कीओर से कुल 4गवाहान को पेश कर परीक्षित कराया गया है। जिसमे पी0ड01 भगवान सिंह पक्षद्रोही घोषित हुआ हैं तथा आहत भगवानसिंह धूलीलाल , समुद्राबाइ व रेखाबाई सभी पक्षद्रोही घोषित हुये हैं जिन्होंने मुलजिमान द्वारा मारपीट करने का कोई कथन नहीं किया हैं ऐसे में पत्रावली पर मुलजिमान द्वारा आहतान को धारदार हथियारों से मारपीट कर साधारण चोटें कारित करने व आहत धूलीलाल , को जान से मारने के आशय से मारपीट कर उसकी हत्या करने तथा कडप में आग लगाकर रिष्टि कारित करने की साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आने से इस प्रश्न का निर्धारण मुलजिमान के हक में किया जाता है।

<u>प्रश्न संख्या 2:—</u>

जैसाकि प्रश्न संख्या1 का निर्धारण मुलजिमान के हक में किया गया है व मुलजिमान द्वारा आरोपों के अनुसार सामान्य आशय की पूर्ति में मारपीट कर साधारण उपहति कारित करने या आहत धूलीलाल को जानसे मारने के आशय से मारपीट कर उसकी हत्या करने तथा आग लगाकर नुकसान पहुचाने की रिष्टि कारित करने की साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आने से मुलजिमान धारा 324/34,307अथवा 307/34 व 435/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से दोषमुक्ति के पात्र है।

:: आदेश ::

फलतःअभियुक्तगण1–जगन्नाथ पुत्र हरिसिह, उम्र 60 वर्ष, प्रेमसिंह पुत्र देवलाल,उम्र–50.वर्ष, 3–श्रीसिंह पुत्र बापूलाल,उम्र–40वर्ष,व 4–भगवानसिंह पुत्र बापूलाल उम्र–30 वर्ष,जातियान गुर्जर,निवासीयान –चक बिसलाई पुलिस थाना – हरनावदाशाहजी, जिला बारां (राज) को अपराध अन्तर्गत धारा 324/34, 307अथवा 307/34 व 435/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त घोषित कर बरी किया जाता है इस प्रकरण मे अभियुक्तगण को धारा 341,323,324,325/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से पूर्व में जरिये राजीनामा दिनांक 08.05.2018 दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। प्रकरण मे जप्त सुदा माल यथा लकडी, लोडी,व गण्डासी खून आलूदा ,बनियान ,कुर्ता , आदि बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे ।

(गणेशाराम)
अपर सेशन न्यायाधीश
छबडा, जिला बारां (राज0)

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(गणेशाराम)
अपर सेशन न्यायाधीश
छबडा, जिला बारां (राज0)